बिहार सरकार
दिव्यांगजन सशक्तिकरण निदेशालय
(समाज कल्याण विभाग)

॥ अधिसूचना ॥

सं0:-2/सा0सु0-वि0यो0-05/2018 स.क.- 546 पटना, दिनांक- 26.09.2018

केन्द्र सरकार के दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की धारा 88 के तहत दिव्यांगजनों के लिए राज्य निधि के गठन का प्रावधान है । उक्त के आलोक में बिहार दिव्यांगजन अधिकार नियमावली, 2017 के अध्याय - XI (नियम-36, 37, 38 एवं 39) मे निहित प्रावधानों के आलोक में राज्य सरकार एतद् द्वारा दिव्यांगजनों के लिए राज्य निधि का गठन करती है । राज्य निधि के प्रबंधन हेतु शासी निकाय निम्नवत होगी :-

(क) प्रधान सचिव /सचिव, समाज कल्याण विभाग - अध्यक्ष,

(ख) राज्य सरकार के स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग, श्रम संसाधन विभाग, वित्त विभाग और ग्रामीण विकास विभाग के वर्णनुक्रम के अनुसार चक्रानुक्रम आधारित दो प्रतिनिधि, जो संयुक्त - सचिव स्तर की पंक्ति से नीचे का न हो - सदस्य

(ग) राज्य सरकार द्वारा चक्रानुक्रम से नामनिर्दिष्ट किए जाने वाले दो व्यक्ति जो अलग-अलग प्रकार की दिव्यांगताओं का प्रतिनिधित्व करेंगे- सदस्य;

(घ) निदेशक, दिव्यांगजन सशक्तिकरण निदेशालय-संयोजक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी।

(2) राज्य निधि अंतर्गत निम्न प्रकार की राशि क्रेडिट की जाएगी - (1) अनुदान, उपहार, दान, लाभ, वसीयत या स्थानान्तरण के माध्यम से प्राप्त सभी रकम (2) अनुदान सहायता सहित राज्य सरकार से प्राप्त सभी रकम, तथा (3) ऐसे अन्य स्त्रोतों से प्राप्त सभी रकम जिन्हें राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर तय की जा सकती है ।

(3) उक्त शासी निकाय, बिहार दिव्यांगजन अधिकार नियमावली, 2017 के अध्याय - XI (नियम-36, 37, 38 एवं 39) मे निहित प्रावधानों के आलोक में राज्य निधि का प्रबंधन करेगी ।

(4) यह अधिसूचना तुरंत प्रवृत होगी ।

बिहार राज्यपाल के आदेशानुसार

(अतुल प्रसाद)
प्रधान सचिव
समाज कल्याण विभाग,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक-2/सा0सु0-वि0यो0-05/2018 स.क.- 546 पटना, दिनांक- 26.09.2018

प्रतिलिपि:-मुख्य सचिव, बिहार/विकास आयुक्त, बिहार/महामहिम राज्यपाल के प्रधान सचिव, राजभवन, पटना/माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव/सभी विभागीय प्रधान सचिव/सचिव, बिहार सरकार/सभी प्रमंडलीय आयुक्त, बिहार/सभी जिला पदाधिकारी, बिहार/सभी अनुमण्डल पदाधिकारी, बिहार/ निदेशक, सामाजिक सुरक्षा, बिहार, पटना/निदेशक, आई0सी0डी0एस, बिहार, पटना/ प्रबंध निदेशक, महिला विकास निगम, बिहार, पटना/राज्य परियोजना निदेशक, बिहार शिक्षा परियोजना परिषद, बिहार/मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी जीविका/मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, एस0एस0यू0पी0एस0 (सक्षम), पटना/ प्रभारी निदेशक, सी0आर0सी, पटना/ निदेशक, रेड क्रॉस सोसाईटी, पटना /स्टेट लेवल बैंकर्स कमिटि, एस0बी0आई0, प्रधान कार्यालय, पटना/ प्रशासक, अनु0जाति सहकारिता विकास निगम/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम, बिहार, पटना/प्रबंध निदेशक, राष्ट्रीय विकलांग वित्त एवं विकास निगम, बिहार, पटना/सभी सहायक निदेशक, जिला सामाजिक सुरक्षा-सह-दिव्यांगजन सशक्तिकरण कोषांग, बिहार/सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, बिहार एवं विभाग के सभी पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रधान सचिव

ज्ञापांक-2/सा0सु0-वि0यो0-05/2018 स.क.- पटना, दिनांक-

प्रतिलिपि:-सचिव, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता, मंत्रालय, भारत सरकार, कमरा सं0- 520 ए0, बी0- II, पांचवा तल, पंडित दीनदयाल अन्त्योदय भवन, सी.जी.ओ. कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली- 110003 एवं माननीय मंत्री, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के आप्त सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रधान सचिव

ज्ञापांक-2/सा0सु0-वि0यो0-05/2018 स.क.- पटना, दिनांक-

प्रतिलिपि:- माननीय मंत्री, समाज कल्याण के आप्त सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रधान सचिव